रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 17, 2010/ज्येष्ठ 27, 1932
No. 347] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 17, 2010/JYAISTHA 27, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2010

सं. 48/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 519(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आयातित माल के पुनर्निर्यात (सीमा-शुल्क की प्रतिअदायगी) नियमावली, 1995 को पुन: संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **लघु शीर्ष और आरंभन—**

(1) ये नियम आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमा-शुल्क की प्रतिअदायगी) संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएगी ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमा-शुल्क की प्रतिअदायगी) नियमावली, 1995 में नियम 5 में उप-नियम (1) में परन्तुक की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश: :—

"शर्त यह है कि :

(i) तीन महीने की उपर्युक्त अवधि सीमा-शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त जैसा मामला हो, द्वारा पुन: तीन महीने की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है और यह कि इसे पुन: सीमा-शुल्क के आयुक्त अथवा सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जैसा मामला हो, द्वारा पुन: छ: महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है,

(ii) सीमा-शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त अथवा सीमा-शुल्क आयुक्त अथवा सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जैसा मामला हो, आवेदन किए जाने पर तथा उपयुक्त समझी जाने वाली जांच के बाद समय बढ़ाने या इसे अस्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकार करने के कारणों को लिखित में दर्ज कर सकते हैं;

(iii) सीमा-शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क के उपायुक्त यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1,000 रुपए जो भी कम हो, देय होगा तथा सीमा-शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में एफ ओ बी मूल्य का 2 प्रतिशत या 2,000 रुपए, जो भी कम हो, देय होगा ।"

[फा. सं. 609/51/2010-डीबीके]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 440(अ), दिनांक 26 मई, 1995 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं. 36/95-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 मई, 1995

के द्वारा प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 5/2003-सीमा-शुल्क (गै.टै), दिनांक 21 जनवरी, 2003 द्वारा सा.का.नि. 45(अ), दिनांक 21 जनवरी, 2003 के जरिए किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2010

No. 48/2010-Customs (N.T.)

G.S.R. 519(E).— In exercise of the powers conferred by Section 74 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Rules, 1995, in rule 5, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that—

(i) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and that the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;

(ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;

(iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1,000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or Rs. 2,000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be."

[F. No. 609/51/2010-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

Note :—The principal rules were published *vide* Notification No. 36/95-Customs (N.T.), dated the 26th May, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 440(E), dated the 26th May, 1995, and were last amended by Notification number 5/2003-Customs (NT.), dated the 21st January, 2003 *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 21st January, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2010

सं. 49/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 520(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के अंतर्गत और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जायेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में,—

(i) नियम 6, उप-नियम (1) में खंड (क) में,—

(क) शब्दों "साठ दिनों" को शब्दों "तीन महीने" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामश:—

"शर्त यह है कि—

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त, यथा मामला, उपर्युक्त तीन माह की अवधि को तीन माह की अवधि से बढ़ा सकता

है और यह कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, इस अवधि को छः महीने और बढ़ा सकता है;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, किसी आवेदन पत्र पर और ऐसी पूछताछ के बाद जो वह उचित समझे, समय बढ़ा सकता है या अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में दर्ज करके समय बढ़ाने से इंकार कर सकता है ।

(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त, यथा मामला, से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1,000 रुपए जो भी कम हो, देय होगा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में एफओ बी मूल्य का 2 प्रतिशत अथवा 2,000 रुपए, जो भी कम हो, देय होगा";

(ii) नियम 7 में, उप-नियम (1) में,—

(क) शब्दों "साठ दिनों" को शब्दों "तीन महीने" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामशः :—

"शर्त यह है कि—

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त यथा मामला, उपर्युक्त तीन माह की अवधि को तीन माह की अवधि से बढ़ा सकता है और यह कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, अवधि को छः महीने और बढ़ा सकता है;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, किसी आवेदन पत्र पर और ऐसी पूछताछ के बाद जो वह उचित समझे, समय बढ़ा सकता है या अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में दर्ज करके समय बढ़ाने से इंकार कर सकता है;

(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त यथा मामला, से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1000 रुपए जो भी कम हो, देय होगा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में एफओबी मूल्य का 2 प्रतिशत अथवा 2000 रुपए, जो भी कम हो, देय होगा";

(iii) नियम 15 में, उप-नियम (1) में दूसरे परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामशः

"आगे शर्त यह है कि—

(i) सीमा-शुल्क का सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क उपायुक्त, यथा मामला, उपर्युक्त तीन महीने की अवधि को नौ महीने तक बढ़ा सकता है और यह कि सीमा-शुल्क का आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, अवधि को छः महीने और बढ़ा सकता है;

(ii) सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क उपायुक्त या सीमा-शुल्क आयुक्त, या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, आवेदन करने पर और ऐसी पूछताछ के बाद जो वह आवश्यक समझे, समय बढ़ा सकता है या अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप से दर्ज करने के बाद अस्वीकार कर सकता है;

(iii) सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क के उपायुक्त यथा मामला, से समय बढ़ाने का

आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1,000 रुपए जो भी कम हो, देय होगा तथा सीमा-शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में एफओबी मूल्य का 2 प्रतिशत अथवा 2,000 रुपए, जो भी कम हो, देय होगा";

(iv) नियम 16ए में, उप-नियम (4) में,—

(क) शब्दों "प्रतिअदायगी की धनराशि की ऐसी वसूली की तारीख से एक वर्ष के भीतर" को शब्दों "बिक्री प्राप्तियों की वसूली की तारीख से तीन माह की अवधि में" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) शब्दों "दावाकर्ता को" के बाद "बशर्ते बिक्री प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अवधि में प्राप्त की जा चुकी हैं" शब्द जोड़े जाएंगे;

(ग) निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, नामश:

"शर्त यह है कि—

(i) सीमा-शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला उपर्युक्त तीन महीने की अवधि को नौ महीने तक बढ़ा सकता है बशर्ते बिक्री प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत समय में प्राप्त की जा चुकी हैं;

(ii) सीमा-शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, को समय बढ़ाने का आवेदन करने के लिए निर्यात के एफओबी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1,000 रुपए, जो भी कम हो, आवेदन शुल्क देय होगा ।"

[फा. सं. 609/51/2010-डीबीके]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

टिप्पणी :— प्रधान नियम अधिसूचना सं. 37/95-सीमा-शुल्क(गै.टै.), दिनांक 26 मई, 1995, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित किये गये थे और इनमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 33/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 29 अप्रैल, 2010, सं. सा.का.नि. 354(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2010 के तहत संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2010

No. 49/2010-Customs (N.T.)

G.S.R. 520(E).—In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Section 93A read with Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995,—

(i) in rule 6, in sub-rule (1), in clause (a),—

(a) for the words "sixty days", the words "three months" shall be substituted;

(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that—

(i) the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and that the Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;

(ii) the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise or Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;

(iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and

Central Excise, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or Rs. 2,000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be.";

(ii) in rule 7, in sub-rule (1),—

(a) for the words "sixty days", the words "three months" shall be substituted;

(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that—

(i) the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and that the Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;

(ii) the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise or Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;

(iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1,000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or Rs. 2000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Ceritral Excise, as the case may be.";

(iii) In rule 15, in sub-rule (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that—

(i) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of nine months and that the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;

(ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;

(iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or Rs. 2000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be.";

(iv) In rule 16A, in sub-rule (4),—

(a) for the words "within one year from the date of such recovery of the amount of drawback", the words "within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds" shall be substituted;

(b) after the words "to the claimant", the words "provided the sale proceeds have been realised within the period permitted by the Reserve Bank of India" shall be inserted;

(c) the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that—

(i) the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of nine months provided the sale proceeds have been realised within the period permitted by the Reserve Bank of India;

(ii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be."

[F. No. 609/51/2010-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

Note :—The principal rules were published *vide* notification No. 37/95-Customs (N.T.), dated the 26th May, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 441(E), dated the 26th May, 1995, and was last amended by notification number 33/2010-Customs (N.T.), dated the 29th April, 2010 *vide* number G.S.R. 354 (E), dated the 29th April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.